न्यायालय समाहर्त्ता / जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 31 / 2016

प्रथम पक्षः– (1) विभा देवी पति– अवधेश यादव,
साकिन–रौताखेम, वार्ड नं०– 14, टोला– मंडल,
पोस्ट– रौताखेम, थाना– सौरबाजर, जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) बिहार सरकार।
(2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा।
(3) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार, सहरसा।
(4) उषा देवी पति– कैलाश यादव,
साकिन–रौताखेम, थाना व अंचल– सौरबाजार,
जिला– सहरसा।

01.07.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल सहरसा के न्यायालय में किया गया। जो उपनिदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में हस्तांरित होकर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही, सुनवाई व निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा यह अपील आवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के ज्ञापांक 86–1 / आई०सी०डी०एस०, दिनांक 18.01.2014 में वर्णित आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलार्थी ग्राम रौता खेम, पंचायत– रौता, अंचल सौरबाजार, जिला सहरसा की निवासी है। आँगनबाड़ी केन्द्र महावीर मंडल टोला, कोड संख्या 117, पंचायत रौता के वार्ड संख्या 14 से संबंधित और रामोतार यादव के दरवाजे पर संचालित है। उक्त केन्द्र वास्ते आँगनबाड़ी सेविका व सहायिका बहाली के निमित प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में इनके द्वारा भी आँगनबाड़ी सहायिका पद पर चयन हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पश्चात् अपीलार्थी का चयन आँगनबाड़ी सहायिका पद पर उक्त केन्द्र हेतु किया गया और दिनांक 09.10.2017 से दिनांक 19.10.2017 तक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् ये आँगनबाड़ी केन्द्र महावीर मंडल टोला, कोड संख्या 117 पर सहायिका के रूप में कार्य करने लगी।

आगे कहना है कि उसी केन्द्र पर कार्यरत सेविका उषा देवी (द्वितीय पक्ष संख्या 04) द्वारा अपने कार्यो का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। सेविका उषा देवी द्वारा सरकार से निर्धारित स्थान के बजाए अन्य स्थान भरत यादव के दरवाजे

पर एवं बाद में सिकन्दर यादव के दरवाजे और अंततः बुच्ची यादव के दवाजे पर केन्द्र का संचालन किया जाने लगा। अपीलार्थी द्वारा जब इस संबंध में विरोध प्रकट किया गया तो सेविका उषा देवी द्वारा अपीलार्थी को धमकी दिया .जाने लगा और अपीलार्थी को उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने से वंचित करने के उद्देश्य से उपस्थिति पंजी अपने पास रखा जाने लगा।

पुनः अपीलार्थी का कथन है कि वे नियमित रूप से आँगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर अपना कार्य करती रही परन्तु सेविका द्वारा इन्हें बराबर परेशान किया जाता रहा और इन्हीं कारणों से इनका मार्च 2011 से अक्टूबर 2011 के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। प्रतिवादी उषा देवी धनवान व प्रभावशाली परिवार से संबंध रखती है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी उनके प्रभाव से प्रभावित थी। अतः परेशान होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त संबंध में वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया और एक आँगनबाड़ी वाद संख्या 16/2012, जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के समक्ष लंबित है।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि सेविका के मिलीभगत में ही महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 25.06.2013 को उनके द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें सहायिका यानि की अपीलार्थी अनुपस्थित पायी गयी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के दिनांक 17.01.2014 के वर्णित आदेश में आवेदिका से ज्ञापांक 1941–2, दिनांक 31.10.13 से कारण–पृच्छा किये जाने का उल्लेख है जबकि उन्हें इस संबंध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं कराया गया है।

अपीलार्थी का अंततः कहना है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा अपीलार्थी को बिना अवसर दिए और अपीलार्थी के पक्ष को सुने बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या 399/2013–14, में पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 को खारिज किये जाने और इस संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के क्रम संख्या– 01, 02, 03 के ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि–सम्मत् है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रत्येक बिन्दुओं की समीक्षा कर अपना आदेश पारित किया है, जो सही है। इनके ओर से अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के क्रम संख्या 04 उषा देवी को भी अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। उनके नाम निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त होने के बाद भी वे उपस्थित नहीं हुई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के साथ द्वितीय पक्ष के क्रम संख्या– 01, 02, 03 के ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। साथ ही निम्न न्यायालय के अभिलेख का

अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के आदेश में वर्णित है कि दिनांक 25.06.2013 को समय 12.10 बजे अपराह्न में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार और दिनांक 26.06.2013 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र– महावीर मंडल टोला रौता, केन्द्र संख्या– 117 की जाँच की गई जिसमें आँगनबाडी सहायिका श्रीमंति विभा देवी (अपीलार्थी) अनुपस्थित पायी गई। उक्त केन्द्र के आँगनबाड़ी सेविका द्वारा भी कहा गया है कि सहायिका केन्द्र पर नहीं आती है, न ही कार्य करती है। इसके अतिरिक्त मई, 2013 एवं जून, 2013 के उपस्थिति पंजी में सहायिका के अनुपस्थित होने का उल्लेख है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उक्त आधार पर अपीलार्थी को चयनमुक्त किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्मत् है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उपस्थापक आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को भेजें। इसके साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित व शुद्धिकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 22 /न्याया0 सहरसा, दिनांक 13.01.20

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख संख्या 1. 399/2013–14, श्रीमती विभा देवी, केन्द्र महावीर मंडल टोला रौता, केन्द्र संख्या 117, पंचायत– रौताखेम, परियोजना– सौरबाजार एवं 2. 16/2012–13 विभा देवी बनाम राज्य एवं उषा देवी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।